77

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — 20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

III/निगरानी/रीवा/भू-रा/2017/2359

1. बुद्धसेन पटेल पिता स्व० चन्द्रभान पटेल उम्र 62 वर्ष,

2. नीरज कुमार पटेल पिता स्व०श्री रामसलोने पटेल उम्र 35 वर्ष,

3. बेवा सीतला पटेल पत्नी रामसलोने पटेल उम्र 58 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम गोरगांव 164 तह० रायपुर कर्चु० जिलारीवा म०प्र०

श्री राजेश पटेल द्वारा आज दि. 26-7-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

------- निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. बाल्मीक पटेल पिता स्व. श्री चन्द्रभान पटेल उम्र वर्ष, निवासी ग्राम गोरगांव 164 तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा (म०प्र०)--- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र० के अपील प्रकरण क्रमांक 16/अ27/अपील/ 2016-17 आदेश दिनांक 5/7/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न हैः-

(अ) यहकि उक्त निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र०के अपील प्रकरण क्र. 16/अ27/अपील/2016-17 आदेश दि० 5/7/2017 के विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है उक्त निगरानी में महत्वपूर्ण तथ्य यह हैकि - गैरनिगरानीकर्ताविचारण न्यायालय में बटनवारा में विधिवत सहमत था। निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानी-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक III/निगरानी/रीवा/भू–रा0/2017/2359

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2017	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायपु कर्चुलियान के अंतरिम आदेश दिनांक 05–7–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रश्नाधीन आदेश में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को म्याद की धारा 5 के आवेदन पर सुनवाई कर विस्तार से आदेश पारित कर ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य नहीं पाया जिससे यह माना जा सके कि उक्त अंगूठे के निशान अनावेदक के है इसी कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी से धारा 5 के आवेदन पर विस्तार से आदेश पारित कर निराकरण किया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	